भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2599

11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2599. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) योजना की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश और बिहार में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और देश में इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उक्त राज्यों सहित देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ड.) उक्त राज्यों में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या डिजिटल प्रणाली ने इस योजना के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने में सहायता की है; और

(छ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भंडारण क्षेत्र में सुधार लाने और कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है तथा देश में प्रचालनों में इसकी दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए क्या योजनाएँ हैं/क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है। यह अधिनियम खाद्यान्नों (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) को प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत तक ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत तक शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत पात्र परिवारों में प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार शामिल हैं। प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न और एएवाई के अंतर्गत कवर किए गए परिवार प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं। टीपीडीएस के तहत, खाद्यान्न सब्सिडीयुक्त मूल्यों पर दिसंबर, 2022 तक प्रदान किए गए थे। तथापि, दिनांक 01 जनवरी, 2023 से इस अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न नि:शुल्क वितरित किए जा रहे हैं।

...2/-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित किया जाता है। केंद्रीय सरकार खाद्यान्न की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के नामित डिपुओं तक परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पात्र लाभार्थियों/परिवारों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने, पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने और उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करने आदि संबंधी प्रचालनात्मक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की होती है।

(ख): भारत सरकार सभी एनएफएसए राशन कार्डधारकों को मासिक वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न आबंटित करती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश और बिहार को खाद्यान्नों के आबंटन और उठान का ब्यौरा **अनुबंध-क** में दिया गया है।

इसके अलावा, पिछले दो वर्षों में आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम- 4048- एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों का राज्य के भीतर संचलन और एफपीएस डीलरों को मार्जिन हेतु सहायता'' के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
आंध्र प्रदेश	122.37	91.73	105.44	148.95	468.49
बिहार	743.27	881.05	434.73	581.71	2640.77

(ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन तत्कालीन योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या कवरेज, कवरेज के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को चिह्नित करने और अधिनियम के तहत निर्धारित खाद्यान्नों की पात्रता के आधार पर किया जाता है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि उपर्युक्त आधार पर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए खाद्यान्नों का वार्षिक आबंटन पूर्ववर्ती सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान औसत वार्षिक उठान से कम है तो उसे संरक्षित रखा जाएगा और अनुसूची-IV में विनिर्दिष्टानुसार, राज्य को खाद्यान्नों का आबंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रति वर्ष 549.26 लाख टन खाद्यान्न के लिए पात्र हैं। इस अधिनियम के तहत लाभार्थियों को शामिल करना/हटाना एक सतत प्रक्रिया है।

(घ): एनएफएसए के अंतर्गत, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं। "खाद्यान्न" शब्द को, चावल, गेहूं या मोटे अनाज या उनके किसी संयुक्त रूप में परिभाषित किया गया है जो केंद्र सरकार के आदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अपने स्वयं के संसाधनों से एनएफएसए के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए खाद्य या पोषण आधारित योजनाएं या स्कीमें बना सकती हैं।

...3/-

(ड.): वर्तमान में, 81.35 करोड़ के कुल अपेक्षित कवरेज की तुलना में, पीएमजीकेएवाई के तहत 80.67 करोड़ व्यक्तियों को कवर किया गया है। वर्तमान में बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

(लाख में)

राज्यों का नाम	अपेक्षित कवरेज	वर्तमान कवरेज
आंध्र प्रदेश	268.23	268.23
बिहार	871.16	871.16

(च) से (छ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में प्रौद्योगिकी सुधारों के भाग के रूप में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूर्ण रूप से डिजिकृत कर दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शी पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टॉल-फ्री नंबर को कार्यान्वित किया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र तथा दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपनाया है), में ऑनलाइन आबंटन को कार्यान्वित किया गया है तथा 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कंप्यूटरीकृत किया गया है। अब तक, देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख उचित दर दुकानों में ईपीओएस डिवाइस को संस्थापित करके लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के माध्यम से पारदर्शी रूप से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए स्वचालित बनाया गया है।

भारतीय खाद्य निगम ने भंडारण क्षेत्र में सुधार करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न पहल की हैं:

(i) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलोज़ का निर्माण।
(ii) भारतीय गुणवत्ता परिषद से एफसीआई द्वारा भांडागारों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन।
(iii) भांडागार प्रचालनों का मशीनीकरण।
(iv) एफसीआई भांडागारों का भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) का प्रमाणन।

****

अनुबंध-क

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2599 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

(हजार टन में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (अक्तूबर)	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1.	आंध्र प्रदेश	1871.844	1750.856	1871.844	1859.240	1871.844	1893.663	1091.909	1084.379
2.	बिहार	5527.100	4890.761	5527.100	5153.630	5527.100	4924.707	3224.142	2658.863

उठान स्रोत: एफसीआई

*****